संख्या-71/2288/41-2014-130 सा0/13 टी0सी0

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 2014

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-355/6-1-1 (410)/रामघाट/2013, दिनांक 13-06-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त् के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के क्रियान्वयन हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-1588.01 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अठठासी लाख एक हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0-487.32 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

http://sfsamadesh.up.nic.in

7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-13- जनपद चित्रकूट की योजनायें-1303-चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव।

संख्या-71/2288(1)/41-2014 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
7- श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in